न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 144/2013

दायर दिनांक : 18.06.2013

दर्शन चुघ पुत्र श्री सोहनलाल जाति अरोड़ा (चुघ) निवासी वार्ड सं. 21 पुराना 10 वर्तमान, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमति जुबैदा खान धर्म पत्नी श्री एम.ए. खान मुसलमान निवासी प्लाट सं. 111–112 मैक हाउस, कालवार रोड़ मानसरोवर कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. श्री रहमत अली पुत्र श्री कालू खां, मुलसमान निवासी चक 260 आर. डी. ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 व 209 आर.टी.ए.1955

उपस्थितः

1. श्री राकेश मनचन्दा, अभिभाषक वादी।
2. श्री रामप्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 व 2
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़।

निर्णय **दिनांक : 02/03/2020**

आज यह पत्रावली निर्णय हेतू प्रस्तुत हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि संक्षेप में विचारण बिन्दु व तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद वास्ते (1) चक 21.800 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ के जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 खाता सं. 10 नई पुरानी 8 मु.न. 1 के पत्थर नम्बर 95/22 के कि.न. 10/0.076 अ.क. कि.न. 11/0.152 है. अ.क. कि.न. 12/0.253 है. अ.क. कुल 0.481 है. अ.क. खातेदारी कृषि भूमि में से 0.405 है. हिस्सा वादी व इसी (2) चक 21.800 आर. डी.आर तहसील सूरतगढ़ का मु.न. 1 के प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0.253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि. न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. क. खातेदारी वादी (3) चक 16.400 आर.डी. आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के मु.न. 30 के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी इस प्रकार से उक्त दोनों चकों के तीनों खातों में अंकित 0.405 + 0.684 + 0.228 = 1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड अंकित खातेदारी वादी दर्शन चुघ की भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को अतिकमी घोषित करवाकर बजरिये पुलिस कब्जा वादी दिलवाने हेतू वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया। वाद पत्र में कथन कर

क्रमशः 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वादी आया कि उक्त भूमि का विक्रय करार वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से किया गया था। प्रतिवादी सं. 1 ने करार पालना नहीं की गई व इस कारण इकरारनामां स्वतः दिनांक 16.01.2007 की निरस्त हो चुका है। इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 22.08.2012 को रजिस्टर्ड नोटिस मय ए.डी नोटिस वास्ते वादी की भूमि का उसे कब्जा दिये जाने का दिया गया था जिसकी पालना नहीं की गई दिनांक 03.01.2013 को कतई कब्जा छोड़ने से इन्कार हो गये इसे ही वाद का कारण (Cause Of Action) बताते हुए वाद प्रस्तुत किया। वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया एवं उनका जवाब प्राप्त कर सुनवाई की गई। प्रतिवादी न. 1 अपने जवाब में अंकित किया कि उनके द्वारा यह भूमि इकरारनामां के आधार पर प्रतिफल 3,45,000/–रूपये अदा किया जाकर प्राप्त किया गया है प्रतिवादी न. 2 उनके प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज है। इकरारनामां के बकाया 10,000/–रूपये अखरे दस हजार रूपये आज भी अदा कर इकरार पालना को तैयार है। वादी बदयान्त हो गया वह इकरारनामां के आधार पर प्राप्त रकम जब्त करना चाहता है व पालना नहीं करना चाहता है। प्रतिवादी स्वीकृत रूप से अंकित काश्तकार वादी से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त भूमि पर साधिकार काबिज हुआ है उसे अतिचारी नहीं माना जा सकता, अतः वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की गई। बाद आने जवाब तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार से कायम की गईः–

1. आया वादी वाद पत्र की मद सं. 2 में अंकित (1) चक 21.800 आर.डी.आर की जमाबंदी सम्वत् 2065–68 की संयुक्त खाता सं. 10/8 में अंकित कृषि भूमि में 0.405 है. हिस्सा (2) इसी चक की इसी सम्वत् की खाता सं. 11/9 में अंकित कुल 0.684 है.क. व (3) चक 16.400 आर.डी.आर. की जमाबंदी सम्वत् 2064–67 की खाता सं. 22/15 में अंकित कुल 0.228 है. कमाण्ड यानि तीनों खातों की कुल 1.317 है. क./अ.क. खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार कृषक है।

–वादी

2. आया वादी द्वारा अपनी तनकी सं. 1 अंकित कुल 1.317 है. खातेदारी कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 के साथ किये विक्रय अपंजीकृत इकरार दिनांक 09.11.2006 निरस्त किया होने से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 बतौर अतिक्रमी काबिज है।

–वादी

3. आया वादी की तनकी सं. 1 में अंकित कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी घोषित करवाते हुये बेदखल करवाकर अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

–वादी

4. आया वादी प्रतिवादीगण से दौराने वाद उनके द्वारा उठाया जाने वाले फसल के लाभ की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

–वादी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः 3 पर...

5. आया प्रतिवादी सं. 1 वादी की खातेदारी कृषि भूमि जरिये इकरारनामां दिनांक 09.11.2006 से खरीद कर काबिज होने के कारण वादी का वाद पत्र अ. धारा 183 आर.टी.ए. खारिज किये जाने योग्य है।

6. आया वादी का वाद पत्र वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। **–प्रतिवादी**

7. अनुतोष। **–प्रतिवादी**

बाद कायमी तनकीयात् साक्ष्य वादी प्राप्त किये गये वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के बयान करवाये गये व बाद साक्ष्य वादी प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के दिनांक 29.04.2016 से दिनांक 11.07.2018 तक न्याय हित में 19 अवसर देने पर भी साक्ष्य प्रस्तुत ना करने पर दिनांक 11.07.2018 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर तर्क सुने गये व पत्रावली निर्णय हेतू नियत की गई। नियत दिनांक 18.02.2020 को अंतिम तर्क सुने जाने के पश्चात पत्रावली निर्णय हेतू दिनांक 18.02.2020 की आदेशिका के अनुसार दिनांक 28.02.2020 को नियत की गई। निर्णय से पूर्व दिनांक 26.02.2020 को प्रतिवादी न. 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये व इन्हें पत्रावली के संलग्न कर विचारण करने की प्रार्थना की गई। पूर्ण विचारण से पूर्व इस प्रार्थना पत्र पर विचारण कर निर्णय किया गया आवश्यक प्रतीत होता है।

वर्तमान प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत किये जाने साक्ष्य प्रथमतः प्रतिवादी के जवाब के साथ प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान आदेश 8 रूल 1 सी.पी.सी. में है। इस मामले में अंतिम तर्क पत्रावली में सुने जा चुके है एवं प्रतिवादी ने बावजूद मौखिक साक्ष्य हेतू न्यायोचित समय में प्रस्तुत किये जाने का समय दिये जाने व इसी हेतू पत्रावली दिनांक 29.04.2016 से दिनांक 07.07.2018 तक लम्बित रही है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा उसमें भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिवादीगण को बार बार अवसर दिया जाता रहा है पत्रावली में बहस हेतू दिनांक 14.08.2018 से दिनांक 18.02.2020 तक 21 अवसर प्राप्त किये गये इस दौरान भी प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु उनके द्वारा नहीं किया गये यह प्रतिवादी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अदालत के प्रति दर्शाता है। इसके अतिरिक्त यह कथन स्वीकृति योग्य नहीं कि खरीद का इकरारनामां आदि पूर्व में प्रतिवादी के धारण में ना हो विशेष कर उन परिस्थितियों में जब उनके मध्य विवाद हो ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर उन पर विचारण ना करते हुये वाद का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी अनुसार प्रार्थी (प्रतिवादी न. 1) का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2020 निरस्त किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र निरस्त कर शामिल पत्रावली किया जाता है, इसका अवलोकन एवं विचारण नहीं होगा।

इसके पश्चात पत्रावली पर बाद आने साक्ष्य व प्रतिवादी के साक्ष्य बंद किये जाने उपरान्त तर्क सुने गये। संक्षेप में योग्य अभिभाषक वादी द्वारा वाद

कमशः 4 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

कथनों की ओर ध्यान दिलाते हुये एवं संलग्न जमाबंदीयों का अवलोकन करवाकर वादी को तहसील सूरतगढ़ के (1) चक 21.800 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ के जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 खाता सं. 10 नई पुरानी 8 मु.न. 1 के पत्थर नम्बर 95/22 के कि.न. 10/0.076 अ.क. कि.न. 11/0.152 है. अ.क. कि.न. 12/0.253 है. अ.क. कुल 0.481 है. अ.क. खातेदारी कृषि भूमि में से 0.405 है. हिस्सा वादी व इसी (2) चक 21.800 आर.डी.आर तहसील सूरतगढ़ का मु.न. 1 के प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0.253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि.न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. क. खातेदारी वादी (3) चक 16.400 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के मु.न. 30 के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी इस प्रकार से उक्त दोनों चकों के तीनों खातों में अंकित 0.405 + 0.684 + 0.228 = 1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड का खातेदार वादी को सिद्ध बताया एवं प्रतिवादी न. 1 व 2 को दिनांक 16.01.2007 से अतिक्रमी बताते हुये तनकीयात् को पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताया व वाद अंकित भूमि वादी की खातेदारी पूर्ण रूप से सिद्ध होने का तर्क दिया साथ ही कथन किया कि प्रतिवादी न. 1 के साथ बजरिये इकरार हुआ था किन्तु प्रतिवादी द्वारा दस हजार रूपये इकरारनामां में अंकित दिनांक तक अदा ना करने वा हस्तांतरण पत्र पंजीबद्ध ना कराने वा अनुपस्थित रहने पर इकरारनामां में अंकित शर्तो की पालना में बैण वक्त मुकर्रा तक केता बकाया राशि अदा नहीं करती है तो उसके द्वारा दिये गये रूपया जब्त व इकरारनामां निरस्त समझा जावेगा। दिनांक 16.01.2007 को इकरारनामां स्वयमेव निरस्त हो गया जिसकी पंजीकृत डाक से सूचना वादी द्वारा प्रतिवादी न. 1 को प्रेषित मार्फत अभिभाषक कर दी थी। वादी की प्रतिवादी को दी गई स्वीकृति बाद निरस्त इकरारनामां स्वयं ही समाप्त हो गई इसके बाद प्रतिवादी न. 1 व 2 का कब्जा बतौर अतिक्रमी जबरिया माना जाने योग्य है। अतिचारी माने जाकर धारा 183 आर.टी.ए. के अन्तर्गत बेदखली के पात्र है वाद वादी पूर्णतया सिद्ध मुताबिक तनकीयात् होना बताते हुये वाद स्वीकार कर प्रतिवादी न. 1 व 2 का कब्जा भूमि चक 21.800 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ के जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 खाता सं. 10 नई पुरानी 8 मु.न. 1 के पत्थर नम्बर 95/22 के कि.न. 10/0.076 अ.क. कि.न. 11/0.152 है. अ.क. कि.न. 12/0.253 है. अ.क. कुल 0.481 है. अ.क. खातेदारी कृषि भूमि में से 0.405 है. हिस्सा वादी व इसी (2) चक 21.800 आर.डी.आर तहसील सूरतगढ़ का मु.न. 1 के प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0.253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि.न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. क. खातेदारी वादी (3) चक 16.400 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के मु.न. 30 के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी इस प्रकार से उक्त दोनों चकों के तीनों खातों में अंकित 0.405 + 0.684 + 0.228 = 1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड जैरवाद पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित करने वा बाद बेदखली प्रतिवादी न. 1 व 2 वादी

क्रमशः 5 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

को कब्जा बजरिये पुलिस सहायता दिलवाने वा वादकालीन अनुतोष के रूप में तहसीलदार सूरतगढ़ में जमा राशि ता फैसला वाद वादी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की गई। तर्कों की ताईद में न्याय निर्णय आर.आर.टी. 2017 पेज 887, आर.आर.टी. 2016 पेज 723, आर.आर.टी. 2016 पेज 586, आर.आर.टी. 2009–10 पूरक पेज 190, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1415, आर.बी.जे. 2015 पेज 467 एच. सी. पेश की गई।

योग्य अभिभाषक प्रतिवादीगण न. 1 व 2 द्वारा तर्क दिया कि वादी द्वारा बजरिये इकरारनामां वाद ग्रस्त भूमि वाके चक 21.800 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ के जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 खाता सं. 10 नई पुरानी 8 मु.न. 1 के पत्थर नम्बर 95/22 के कि.न. 10/0.076 अ.क. कि.न. 11/0.152 है. अ.क. कि. न. 12/0.253 है. अ.क. कुल 0.481 है. अ.क. खातेदारी कृषि भूमि में से 0.405 है. हिस्सा वादी व इसी (2) चक 21.800 आर.डी.आर तहसील सूरतगढ़ का मु.न. 1 के प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0.253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि.न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. क. खातेदारी वादी (3) चक 16.400 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के मु.न. 30 के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी इस प्रकार से उक्त दोनों चकों के तीनों खातों में अंकित 0.405 + 0.684 + 0.228 = 1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बिल एवज बिल मुक्ता 3,55,000/–रूपये में प्रतिवादी न. 1 को विक्रय का करार देकर व 3,45,000/–रूपया वसूल पाकर कब्जा दिया प्रतिवादी न. 1 का कब्जा साधिकार है। मात्र बकाया 10,000/–रूपया प्रतिवादी न. 1 वादी को हर समय देने को तैयार था। वादी द्वारा हस्तांतरण पंजीबद्ध जानबूझकर नहीं करवाया ना ही हस्तांतरण पंजीबद्ध करवाने का नोटिस दिया, प्रतिवादी सं. 1 साधिकार है। स्वीकृति के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि का कब्जा दिया जाना पक्षकारान का स्वीकृत तथ्य ही कब्जा स्वीकृति से दिये जाने से बाद में कब्जा धारी अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। धारा 183 इस मामले में प्रभावकारी नहीं इस सम्बंध में तर्कों की ताईद में न्याय उद्धरण आर.आर.डी 1985 पेज 655, सी.जे. 2017 (2) पेज 1539, आर.आर.डी. 1996 पेज 530 का निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 1 अपने कब्जे को संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार रखते है। वादी वादी आधारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पत्रावली का गहन अध्ययन व मनन तर्कों के परिपेक्ष्य में किय गया व प्रस्तत न्याय निर्णयों का सम्मान पूर्वक अध्ययन मनन किया गया बाद अवलोकन व मनन विस्तृत विवेचन तनकी अनुसार निम्न प्रकार से है:–

तनकी न. 1:– आया वादी वाद पत्र की मद सं. 2 में अंकित (1) चक 21.800 आर.डी.आर की जमाबंदी सम्वत् 2065–68 की संयुक्त खाता सं. 10/8 में अंकित कृषि भूमि में 0.405 है. हिस्सा (2) इसी चक की इसी सम्वत् की खाता सं. 11/9 में अंकित कुल 0.684 है.क. व (3) चक 16.400 आर.डी.आर. की जमाबंदी

क्रमशः 6 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सम्वत् 2064–67 की खाता सं. 22/15 में अंकित कुल 0.228 है. कमाण्ड यानि तीनों खातों की कुल 1.317 है. अ.क. खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार कृषक है।

इस तनकी का भार वादी पर था एवं वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी का अवलोकन करवाया व जमाबंदी के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को तहसील सूरतगढ़ के चक 21.800 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 के संयुक्त खाता सं. 10/8 में अंकित भूमि में 0.405 है. हिस्सा, चक 21.800 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0.253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि.न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. व चक 16.400 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी कुल 0.405 + 0.684 + 0.228 = 1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का खातेदार का अंकन वा अवलोकन करवाया गया है। स्पष्ट रूप से उपरोक्त भूमि का वादी खातेदार कृषक सन्देह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है। अंकित काश्तकार की सीमा तक वादी चक 21.800 आर. डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 के संयुक्त खाता सं. 10/8 में अंकित भूमि में 0.405 है. हिस्सा, चक 21.800 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0. 253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि.न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. व चक 16.400 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी कुल 0.405 + 0. 684 + 0.228 = 1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का खातेदार सिद्ध होता है। इस स्थिति में वह पंजीबद्ध हस्तांतरण पत्र से ही विवादित हो सकता है वह भी खातेदार द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत होने पर ऐसा किसी प्रकार का वाद प्रतिवादी न. 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिये वादी ने तनकी न. 1 पूर्ण रूप से सिद्ध की है एवं इसे बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नः– 2 आया वादी द्वारा अपनी तनकी सं. 1 अंकित कुल 1.317 है. खातेदारी कुषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 के साथ किये विक्रय अपंजीकृत इकरार दिनांक 09.11.2006 निरस्त किया होने से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 बतौर अतिक्रमी काबिज है।

इस तनकी का भार वादी पर था वादी ने इस तनकी का सिद्ध करने के लिये अपना शपथ पत्र व अभिभाषक द्वारा दिये नोटिस को पेश किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रति शपथ पत्र से इसे नकारा नहीं है। वादी का शपथ पत्र प्रति शपथ पत्र के अभाव में स्वीकृति योग्य है। इसलिये तनकी न. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नः– 3 आया वादी की तनकी सं. 1 में अंकित कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी घोषित करवाते हुये बेदखल करवाकर अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

क्रमशः 7 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

इस तनकी का भार वादी पर था एवं इस तनकी का सम्बंध तनकी न. 1 व 2 से भी है जो बहक वादी निर्णय की जा चुकी है। इस सम्बंध में वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2015 पेज 467 सहायक होता है जिसमें यह माना गया है कि । *"After determination of Tenancy Petitioner can not claim, to be tenant holding over. They are Tress Passer."*। जो व्यक्ति मूल काश्तकार अंकित की स्वीकृति के बिना भूमि पर कब्जा बनाये रखता है व अतिक्रमी की परिभाषा में आता है व बतौर अतिक्रमी बेदखली का पात्र है। वादी अंकित काश्तकार है उसकी वर्तमान में प्रतिवादी के कब्जा बनाये रखने की स्वीकृति समाप्त कर दी गई है। बिना पंजीकृत हस्तांतरण पत्र हस्तांतरिति किसी प्रकार के अधिकार का वाद नहीं कर सकता कथित दिये गये प्रतिफल हेतू यह न्यायालय किसी प्रकार का अनुतोष देने में सक्षम नहीं ना ही वह हस्तांतरण पंजीकरण हेतू काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदेश प्रदान कर सकता है। प्रतिवादी को किसी प्रकार के अधिकार है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकता है। काश्तकारी अधिनियम में गठित अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी को अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अंकित काश्तकार स्वयं की स्वीकृति के बिना काबिज भूमि में व्यक्ति को बेदखल करवाने का अधिकारी धारा 183 आर.टी.ए. में है। वादी ने इसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तनकी न. 3 बहक वादी निर्णय की जाती है।

<u>तनकी न. 4:–आया वादी प्रतिवादीगण से दौराने वाद उनके द्वारा उठाया जाने वाले फसल के लाभ की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।</u>

इस तनकी का भार वादी पर था, इस बिन्दू पर पूर्व में धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय हो चुका है व दौराने वाद नकद प्रतिभूति प्रतिवादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि की जमा करवाई गई है। यह राशि वाद के अंतिम निपटाने तक जमा करवा कर वादी को दी जाने योग्य है, तनकी न. 4 बहक वादी निर्णय की जाती है।

<u>तनकी न. 5:– आया प्रतिवादी सं. 1 वादी की खातेदारी कृषि भूमि जरिये इकरारनामां दिनांक 09.11.2006 से खरीद कर काबिज होने के कारण वादी का वाद पत्र अ.धारा 183 आर.टी.ए. खारिज किये जाने योग्य है।</u>

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था दौराने सुनवाई वाद इस विषय में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद तर्क सुने जाने निर्णय से पूर्व पत्रावली में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस स्तर पर पढ़े जाने योग्य नहीं है। यदि इन साक्ष्यों को पढ़ा भी जाता उस अवस्था में इस पर विचारण किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना ही वाद को पुष्ट नहीं करता उक्त साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम के अनुसार संदेह से परे कातिब गवाह आदि के बयान

क्रमशः 8 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

आवश्यक है जो इस स्तर पर सम्भव नहीं थे इस अवस्था में प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में किसी प्रकार के बयान बरवक्त प्रस्तुति साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त इस बिन्दू पर स्वीकृति वादी एवं कथन प्रतिवादी न. 1 पर विचारण करने पर पाया जात है कि कथित इकरारनामां की पालना प्रतिवादी न. 1 द्वारा नहीं की गई, इकरारनामां स्वतः निरस्त होने पर वादी द्वारा कब्जा देने हेतू प्रतिवादी को अभिभाषक के मार्फत नोटिस दिनांक 22.08.2012 को दिया जाना साबित है। इस अवस्था में जब पालना ना होने पर इकरारनामां स्वतः निरस्त हो गया एवं यह कथित इकरारनामां पंजीबद्ध भी नहीं है उस अवस्था में उस पर विचारण किया जाना आवश्यक नहीं है इस सम्बंध में वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1415 माननीय राजस्थान हाईकोर्ट व आर.आर.टी. 2009–10 पूरक पेज 190 व आर.आर. टी. 2016 पेज 730 इस विषय में पूर्णतया लागू होते है। वर्तमान अंकन अनुसार वादी अंकित काश्तकार है इसलिये उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति उसकी भूमि पर काबिज नहीं रह सकता कब्जा वादी की सहमति के बिना अन्य व्यक्ति का कब्जा अतिक्रमी के रूप में माना जाने योग्य है। खरीद पंजीबद्ध नहीं घोषणा का वाद नहीं इसलिये यह तनकी प्रतिवादी न. 1 व 2 को कब्जा बनाये रखने का अधिकार नहीं देती। इसलिये उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

<u>तनकी न. 6:– आया वादी का वाद पत्र वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।</u>

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा इस विषय में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही कोई कारण बताया गया है कि किस प्रकार से वादी को वाद कारण प्राप्त नहीं है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अनुसार प्रतिवादी को सूचना दे दी गई थी कि वह वादी की अंकित खातेदारी भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है और उसे नोटिस के माध्यम से भूमि खाली कर वादी को सुपुर्द करने हेतू लिखित में अभिभाषक के माध्यम से सूचना दे दी थी। इसके बाद प्रतिवादी न. 1 व 2 का कब्जा कतई साधिकार नहीं रहा एवं वादी को उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कारण प्राप्त हो गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस आधार पर तनकी न. 6 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर वादी के खातेदारी रकबा चक 21.800 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ के जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 खाता सं. 10 नई पुरानी 8 मु.न. 1 के पत्थर नम्बर 95/22 के कि.न. 10/0.076 अ.क. कि.न. 11/0.152 है. अ.क. कि.न. 12/0.253 है. अ.क. कुल 0.481 है. खातेदारी कृषि भूमि में से 0.405 है.

क्रमशः 9 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

हिस्सा व इसी चक 21.800 आर.डी.आर तहसील सूरतगढ़ का मु.न. 1 के प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0.253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि.न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. व चक 16.400 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के मु.न. 30 के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी कुल 0.405 + 0.684 + 0.228 =1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड अंकित खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अतिचारी घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि पर बतौर अतिचारी काबिज प्रतिवादी न. 1 व 2 को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा पुलिस की सहयोग से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते है। वाद निर्णय तक इस वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 (2) आर.टी.ए. के प्रकरण में अंकित विवादित भूमि के सम्बंध में तहसीलदार सूरतगढ़ के कार्यालय में नियमानुसार बनने वाली जमा नकद प्रतिभूति की राशि वादी को दिये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार अलग से पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 02/03/2020 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

दर्शन चुघ पुत्र श्री सोहनलाल जाति अरोड़ा (चुघ) निवासी वार्ड सं. 21 पुराना 10 वर्तमान, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमति जुबैदा खान धर्म पत्नी श्री एम.ए. खान मुसलमान निवासी प्लाट सं. 111–112 मैक हाउस, कालवार रोड़ मानसरोवर कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. श्री रहमत अली पुत्र श्री कालू खां, मुलसमान निवासी चक 260 आर.डी. ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, व 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 144 वर्ष 2013 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा व वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 श्री रामप्रताप तिवाड़ी व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है:–

वाद वादी स्वीकार कर वादी के खातेदारी रकबा चक 21.800 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ के जमाबंदी सम्वत् 2065 ता 68 खाता सं. 10 नई पुरानी 8 मु.न. 1 के पत्थर नम्बर 95/22 के कि.न. 10/0.076 अ.क. कि.न. 11/0.152 है. अ.क. कि.न. 12/0.253 है. अ.क. कुल 0.481 है. अ.क. खातेदारी कृषि भूमि में से 0.405 है. अ.क. हिस्सा वादी दर्शन चुघ व इसी चक 21.800 आर.डी.आर तहसील सूरतगढ़ का मु.न. 1 के प.न. 95/22 का कि.न. 4/0.039 है. क. कि.न. 5/0.126 है. क. कि.न. 7/0.253 है. क. कि.न. 8/0.215 है. क. कि.न. 9/0.051 है. क. कुल 0.684 है. व चक 16.400 आर.डी.आर. जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 22 नई 15 पुरानी के मु.न. 30 के प.न. 95/30 के कि.न. 1/0.228 है. क. खातेदारी कुल 0.405 + 0.684 + 0.228 =1.317 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अतिचारी घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि पर बतौर अतिचारी काबिज प्रतिवादी न. 1 व 2 को जरिये पुलिस तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा पुलिस सहायता से बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। वाद निर्णय तक इस वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 (2) आर.

क्रमशः 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

टी.ए. के प्रकरण में अंकित विवादित भूमि के सम्बंध में तहसीलदार सूरतगढ़ के कार्यालय में नियमानुसार बनने वाली जमा नकद प्रतिभूति की राशि वादी को दिये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2.3.2020 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.03.17 15:14:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: